BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | February 2019 | No. 02

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

महामहिम राज्यपाल के कर-कमलों द्वारा चैम्बर के उद्यमिता (कौशल विकास) भवन का उद्घाटन

फीता काटकर उद्यमिता (कौशल-विकास) भवन का उद्घाटन करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं चैम्बर के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु जीर्णोद्धार द्वारा निर्मित उद्यमिता (कौशल विकास) भवन का उद्घाटन दिनांक 2 फरवरी 2019 को श्री लाल जी टंडन, महामहिम राज्यपाल, बिहार एवं श्री गंगा प्रसाद, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम के कर -कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण में अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि चैम्बर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु वर्ष 2014 से कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को सिलाई-कटाई, मेंहदी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण नि:शुल्क दे रहा है और आज के इस अवसर पर ब्यूटिशियन कोर्स भी प्रारम्भ कर रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी दी।

इस अवसर पर श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत चैम्बर अपने संसाधनों से नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, इसकी उन्होंने प्रशंसा की और प्रशिक्षुओं को यह संदेश दिया कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जोड़े।

श्री गंगा प्रसाद, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम ने अपने संबोधन में चैम्बर द्वारा महिलाओं के कौशल विकास के लिए किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भी गाँव-गाँव तक लोगों के हुनर को विकसित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सुझाव दिया कि आप भी एक-दूसरे को प्रशिक्षण देकर ज्यादा-से -ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें उसमें सरकार भी आपको सहयोग देगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री लाल जी टंडन, महामहिम राज्यपाल, बिहार ने चैम्बर द्वारा महिलाओं के हुनर को बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार का उद्देश्य भी विकास करना है और इस पर बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि नौकरियों की संख्या काफी कम है इसलिए ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को व्यवसाय एवं उद्योग से जुड़ना चाहिए जिससे कि स्वयं के रोजगार के साथ-साथ अधिकाधिक लोगों को रोजगार दे सकें। उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति में कुछ-न-कुछ गुण होता है, आवश्यकता इस बात की होती है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा मिले। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के कौशल विकास की नितान्त आवश्यकता होती है और मुझे इस बात की खुशी है कि चैम्बर महिलाओं के हुनर को विकसित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकाधिक उद्योग लगे इसके लिए चैम्बर को प्रयास करना चाहिए तथा अधिकाधिक सेवा के कार्यों को करना चाहिए।

इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट के साथ-साथ जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया एवं इस अवसर पर राज्य के बाहर चैम्बर के कार्यक्रमों में सहयोग के लिए श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री राजेश खेतान, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन तथा चैम्बर के कार्यों में सहभागिता हेतु

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

एक जनवरी, 2019 को चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान जी के निधन से हम सभी लोग मर्माहत है। उनका निधन व्यवसाय जगत की अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

केन्द्रीय वित मंत्री द्वारा संसद में पेश अंतरिम बजट 2019 से बिहार की जनता के साथ उद्यमियों एवं व्यवसायियों को आशा थी कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए बजट में अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

बजट की घोषणाओं से 5 लाख तक आय वालों को शुन्य आय का तथा विभिन्न Deduction एवं Incentive के फलस्वरूप 6.5 लाख से भी अधिक का आयकर मुक्त हो जायेगा। खासकर वेतन भोगी, अल्प आय व्यक्ति, इन्टेरेस्ट आय आदि को राहत होगी। बजटीय घोषणाओं में भारत को प्रदूषण मुक्त करने, लघु एवं मध्यम क्षेत्र को 2 प्रतिशत रियायत देने एवं आगामी समय में इलेक्ट्रानिक गाड़ियों के परिचालन का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

बिहार के लिए अंतरिम बजट में कोई विशेष प्रस्ताव का नहीं होना, हमारे लिए निराशाजनक तो है परन्तु सामाजिक उत्थान एवं छोटे व मध्यम वर्ग के लोगों के लाभ की दृष्टि से यह बजट सराहनीय है।

इसी माह बिहार बजट 2019–20 भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने पेश किया। बजट में वैट के एक जुलाई, 2018 से पूर्व के लंबित मामलों के निपटारे हेतु OTS योजना लाना स्वागत योग्य है जिसकी मांग चैम्बर लगातार कर रहा था। बजट में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, राज्य के विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने में सक्षम होगा। खुशी की बात है कि अच्छे कार्यों के आलोक में बिहार को 11 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस बजट में बिहार के चातुर्दिक विकास हेतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क के विकास हेतु विशेष प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है।

दिनांक 2 फरवरी, 2019 को चैम्बर परिसर में कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु पुनरूद्धारित **"उद्यमिता (कौशल विकास) भवन"** का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा के कर–कमलों हुआ। कार्यक्रम काफी भव्य रहा। इस कार्यक्रम से सम्बन्धित संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

7 फरवरी, 2019 को श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, डीजीपी, बिहार के साथ चैम्बर प्रांगण में संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वरीय पुलिस पदाधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक काफी उपयोगी रही। बैठक से सम्बन्धित रिपोर्ट भी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए घोषित विद्युत दरों को यथावत रखने का फैसला स्वागत योग्य है। वितरण कम्पनियों का सरप्लस 2500 करोड़ का है अतः यह आशा थी कि विद्युत दरों में कमी आयेगी। राज्य में बिजली की दर पड़ोसी राज्यों के समकक्ष होगी तो राज्य का विकास तेजी से होगा।

होली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

उद्यमिता (कौशल-विकास) भवन के शिलापट्ट का अनावरण करते श्री लाल जी टंडन, महामहिम राज्यपाल, बिहार एवं श्री गंगा प्रसाद, महामहिम राज्यपाल, सिक्किम। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

महामहिम राज्यपाल बिहार श्री लाल जी टंडन को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा।

चैम्बर के उद्यमिता (कौशल-विकास) भवन का अवलोकन करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन एवं महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द, श्री अजय कुमार एवं अन्य।

माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन एवं महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन एवं महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

हॉल में उपस्थित प्रशिक्षित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाएं जिन्हें आत्मनिर्भरता हेतु सिलाई मशीन चैम्बर द्वारा प्रदान किया गया।

चैम्बर के राज्य के बाहर के कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागिता हेतु श्री राजेश जैन, कार्यकारिणी सदस्य को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन। साथ में महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर के राज्य के बाहर के कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागिता हेतु चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन। साथ में महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर के कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता को मेमोन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल बिहार श्री लाल जी टंडन। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं श्री आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य।

चैम्बर के सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गिरिधारी लाल सराफ को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन। साथ में महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर के राज्य के बाहर के कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागिता हेतु चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद। साथ में महामहिम राज्यपाल, बिहार, श्री लाल जी टंडन, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा।

चैम्बर के राज्य के बाहर के कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागिता हेतु चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद। साथ में महामहिम राज्यपाल बिहार श्री लाल जी टंडन, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण में सहयोग हेतु डॉ० गीता जैन को मेमेन्टो देकर सम्मानित करते महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री लाल जी टंडन। साथ में महामहिम राज्यपाल, सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

राज्यपाल बिहार एवं सिक्किम तथा माननीय श्रम संसाधन मंत्री, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ सम्मानित सदस्यों की ग्रुप फोटो।

चैम्बर के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिला को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान करते महामहिम राज्यपाल, बिहार, श्री लाल जी टंडन। साथ में महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद, माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर।

कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा।

कार्यक्रम को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल, सिक्किम, श्री गंगा प्रसाद।

कार्यक्रम को संबोधित करते महामहिम राज्यपाल, बिहार, श्री लाल जी टंडन।
साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

महामहिम राज्यपाल बिहार श्री लाल जी टंडन को शॉल एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

महामहिम राज्यपाल, सिक्किम श्री गंगा प्रसाद को शॉल एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा।

माननीय श्रम संसाधन मंत्री, बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा को शॉल एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर।

श्री गिरिधारी लाल सराफ, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता को महामहिम की ओर से सम्मानित किया गया। कौशल विकास के कार्यों में सहयोग के लिए डॉ० गीता जैन को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के साथ-साथ चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल के साथ-साथ चैम्बर के सम्मानित सदस्य श्री एस० के० पटवारी, श्री आशिष शंकर, श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री गिरीधारी लाल सराफ, श्री पी० के० सिंह, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री उत्पल सेन, डॉ० रमेश गाँधी, श्री दिलजीत खन्ना, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री अजय गुप्ता, श्री राजेश जैन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सुबोध जैन, श्री सावल राम डोलिया एवं आधार महिला की डॉ० गीता जैन सहित मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समरोह का समापन हुआ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान के निधन पर चैम्बर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान जी, जिनका निधन दिनांक 1 फरवरी 2019 को उनके स्थानीय आवास राजेन्द्र नगर, पटना में हो गया है, को श्रद्धासुमन अर्पित करने हेतु दिनांक 5 फरवरी 2019 को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्व० खेतान एक सफल उद्यमी थे और पिछले कई दशकों से लगातार चैम्बर से जुड़े थे। चैम्बर के कार्यों में उनकी सक्रियता के आलोक में उन्हें 2004 में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने सत्र 2004-05 एवं 2005-06 में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अपने कार्यकाल में राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निदान हेतु वे सतत प्रयत्नशील रहे। उनके कार्यकाल में 20 दिसम्बर 2005 को हुए राज्य भर के व्यवसायियों की वैट व्यापार पंचायत को व्यवसायी आज भी याद करते हैं।

पूर्व अध्यक्ष स्व० मोती लाल खेतान के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में साँवल राम ड्रोलिया, डॉ० रमेश गाँधी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं अन्य।

श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण।

श्री अग्रवाल ने बताया कि स्व० खेतान जी का अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त भी चैम्बर में उनका आना-जाना लगा रहा तथा चैम्बर की गतिविधियों में बराबर अपना योगदान एवं मार्गदर्शन देते रहे।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि स्व० खेतान चैम्बर के अतिरिक्त अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े थे और अपनी सेवाएं प्रदान की। उनका मिलनसार, विनम्र एवं मृदुभाषी छवि सभी को आकर्षित करने वाला था।

उन्होंने आगे कहा कि उनका निधन राज्य के उद्योग एवं व्यापार के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को चिर स्थाई शान्ति प्रदान करें।

शोक सभा में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजा बाबू गुप्ता, डॉ० रमेश गाँधी, श्री मनोज आनन्द, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सच्चिदानन्द, श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं अन्य सदस्यगण सम्मिलित थे।

पुलिस महानिदेशक के साथ चैम्बर में बैठक

पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर तथा अपर पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ दिनांक 7 फरवरी 2019 को चैम्बर प्रांगण में नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय के साथ राज्य के विधि-व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु बैठक आयोजित हुई।

अतिथियों का स्वागत करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने पुलिस महानिदेशक के उस निर्देश की प्रशंसा की जिसमें उन्होंने सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनका फीडबैक लेने, आम जनता में पुलिस की छवि को और बेहतर बनाने, रात्रि पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देने, ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने एवं निर्धारित समय के अन्दर जाँच का निपटारा करने को कहा है ।

श्री अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण के क्रम में कई सुझाव दिए जिनमें प्रमुख हैं :- उद्यमियों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रांगण में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने तथा पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना कराने, राज्य के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भाँति औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने, उद्यमियों को सशस्त्र अंग रक्षक उपलब्ध कराने, उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने, पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर बैठक करने, पटना शहर के बड़े पुलिस थानों यथा– गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पीरबहोर, पाटलिपुत्र, बुद्धा कोलोनी, कंकड़बाग, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अंतर्गत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने, दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने, पुलिस थानों को और आधुनिक बनाने, शराब के जाँच के नाम पर निजी वाहनों को परेशान न करने, व्यापारिक अवधि में अधिकाधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने, अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रात के 10 बजे के बाद बजने वाले लाउडस्पीकर एवं बैण्ड-बाजों पर सख्ती से रोक लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु पुलिस के पास आधुनिक उपकरण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराने, बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना करने, पटना शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं साईबर अपराध पर रोक हेतु समुचित व्यवस्था करने तथा इससे संबंधित सूचना एवं शिकायत की प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार कराने का सुझाव दिया।

उक्त अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज की बैठक डीजी के पूरी टीम के साथ हो रही है जिसमें पाँच अधिकारी हैं और सब अपने आप में पूरी तरह से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सक्षम हैं और कोई भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय वे अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम लेगी। रात्रि 10 बजे के बाद बजने वाले लाउडस्पीकर एवं बैंड-बाजों पर नियंत्रण लगाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति थाना में जाकर यह सूचना देगा कि उनको अमुक व्यक्ति से जान-माल का खतरा है तो तुरन्त पुलिस उसे सक्रियता से लेगी और

अपर पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार को पुष्पगुच्छ देकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री कुन्दन कृष्णन को पुष्पगुच्छ देकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री जे० एस० गंगवार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

अपर पुलिस महानिदेशक श्री जीतेन्द्र कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर।

ट्रैफिक एस.पी. श्री प्रकाश नाथ मिश्रा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

बैठक को संबोधित करते पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय।

पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय को शॉल एवं मेमेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

अभ्यागत पुस्तिका में अपनी शुभकामनाएं अंकित करते पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय।

यदि कोई थाना उसमें चूक करेगा तो थाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उद्यमी एवं व्यवसायी आर्म्स लाइसेंस चाहेंगे और सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे तो उन्हें अवश्य लाइसेंस दिया जाएगा। यदि आर्म्स चलाने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो वैसे लोगों को प्रशिक्षण भी विभाग की ओर से दिया जाएगा। चैम्बर द्वारा पुलिस कमिश्नरेट बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट बनाने का वे भी समर्थन करते हैं।

बैठक में उपस्थित बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारियों में अपर पुलिस महानिदेशक श्री कुन्दन कृष्णन, श्री विनय कुमार, श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, श्री जितेन्द्र कुमार, सेंट्रर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार तथा ट्राफिक एस० पी० श्री प्रकाश नाथ मिश्रा ने भी महत्वपूर्ण जानकारी एवं सलाह दिये।

कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सहित वरीय सदस्य श्रीमती सुषमा साहु, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री राम चन्द्र प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री स्वदेश कुमार, श्री रणजीत प्रसाद सिंह, श्री शशि मोहन, श्री सत्यजीत सिंह एवं भोजपुर चैम्बर आफ कॉमर्स, आरा के श्री आलोक चन्द जैन ने अपनी-अपनी बातें पुलिस महानिदेशक के समक्ष रखी। बैठक में काफी संख्या में सम्मानित सदस्यगण तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक को शॉल एवं मेमेन्टो देकर चैम्बर अध्यक्ष ने सम्मानित किया।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

HIGHLIGHTS OF CENTRAL INTERIM BUDGET 2019

GOODIES, AND EVEN MORE GOODIES

• Full rebate up to **Rs 5 Lakh** annual income after all deductions • Standard deduction increased from **Rs 40,000 to Rs 50,000** • **Exemption on Tax** on second self-occupied house.

TAX : • Within 2 years, **tax assessment will be done electronically** • **I-T returns processing** in just 24 hours • **Minimum 14 % revenue of GST to states** by Central government • **Custom duty abolished** for 36 capital goods • **Recommendations to GST council** for reducing GST rates for home buyers • **Ceiling limit of TDS u/s 195A increased** from Rs 10,000 to Rs 40,000 for Women • **Ceiling limit of TDS u/s 1941 incrased** from Rs 1,80,000 to Rs 2,40,000 • **Capital tax benefit u/s 54 increased from investment** in one residential house to two residential houses

OTHER AREAS : • Rs 6, 000 per annum to be given to every farmer having up to 2 hectares of land. Applicable from September 2018. Amount will be transferred in 3 instalments • **Stats share increased to 42%** • **Rs 60,000 crore** for MGNREGA • **Monthly pension of Rs 3,000 with contribution of Rs 100** • **per month** for workers in unorganised sector after 60 years of age • **National 'kamdhenu ayog' for cows. Rs 750 crore** for National Gokul Mission • **Free gratuity limit increased to Rs 30 lakh** from 20 lakh • **Bonus will be applicable for workers** earning Rs 21, 000 monthly • **2% interest relief GST-registered MSMEs** • **One lakh digital villages** in the next 5 years • **Single window for approval of Indian film makers.**

(Source : Times of India, 2.2.2019)

प्रभात खबर की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की केन्द्रीय अंतरिम बजट पर परिचर्चा

बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा न पैकेज

• बजट में मजदूरों के लिए पेंशन योजना का किया गया है एलान, हर माह देने होंगे रु100 • पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए दो फीसदी का ब्याज सहायता देने की घोषणा

चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से आखिरी बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गयीं। बजट में गरीब, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रख लुभाने की कोशिश की गयी है। मध्यम वर्ग को सौगात देते हुए इनकम टैक्स सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गयी है, लेकिन उम्मींदे लगाये बिहार को कुछ नहीं मिला।

न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर चर्चा हुई और न ही कोई विशेष पैकेज मिल सका। इतना ही नहीं प्रदेश के उद्योग व कारोबार के लिए भी कुछ नहीं हुआ। ये बातें को प्रभात खबर की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में केन्द्रीय अंतरिम बजट पर रायशुमारी कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के सदस्यों ने कहीं,

विशेष सौगात की थी आशा : चैम्बर सभागार में अंतरिम बजट का सीधा प्रसारण देखने के लिए व्यवस्था की गयी थी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का बजट भाषण शुरू होने से पहले ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सभा कक्ष में पहुँच गये थे। कारोबारियों व उद्यमियों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार के आखिरी बजट में बिहार को विशेष सौगात मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे वित्त मंत्री का भाषण अंतिम चरण में पहुँचता गया वैसे-वैसे सदस्यों के चेहरे पर उदासी छा गयी। हालांकि सदस्यों को कहना था कि चलो किसान और मध्यम वर्ग को कुछ तो मिला।

बजट पर प्रतिक्रिया : बिहार के लिए विशेष प्रस्ताव नहीं होने से निराशा, हालांकि आम लोगों को मिलेगी राहत

"उम्मीद थी कि इस बार के बजट में बिहार के विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी। बिहार के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से थोड़ी निराशा जरूर हुई है। वेतनभोगी, अल्प आय व्यक्ति, इन्टरेस्ट आय इत्यादि से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी।"

– पी. के. अग्रवाल, **अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज**

"बजट में नये घर खरीदने वालों पर जीएसटी का भार कम करने की कोशिश सरकार ने की है। यह कोशिश रियल एस्टेट से जुड़े उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि पिछले दो सालों से रियल एस्टेट कारोबार ठहरा हुआ है। जीएसटी लगने के बाद नये प्रोजेक्ट की बुकिंग काफी कम हो गयी थी।"

– एन. के. ठाकुर, **उपाध्यक्ष, बीसीसीआई**

"यह बजट लोकलुभावन बजट के अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सौगात टैक्स जमा करने वाले लोगों को मिली है। अब 5 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। पहले यह सीमा केवल 2.50 लाख रुपये तक के लिए थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है।"

– मुकेश जैन, **उपाध्यक्ष, बीसीसीआई**

"सरकार ने राहुल गाँधी के किसानों के कर्ज माफी के जवाब में बजट में योजना का एलान किया है। अब छोटे किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद करने घोषणा की गयी है। मदद सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर तक की जमीन है। उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।"

– अमित मुखर्जी, **महामंत्री, बीसीसीआई**

"अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए दो फीसदी का ब्याज सहायता देने की घोषणा की है। इससे बिहार के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। उसमें यह सोने पर सुहागा वाला काम करेगा।"

– सुभाष पटवारी, **पूर्व उपाध्यक्ष, बीसीसीआई**

"यह अंतरिम बजट भारत की अंतरात्मा का और सरकार के अंतर्मन का बजट है। इसमें सरकार ने निम्न व मध्यम श्रेणी के साथ किसानों को विशेष तरजीह दी है। टैक्सपेयर्स के लिए कहे गये शब्द उत्साहवर्धक हैं। एमएसएमइ को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको 2 फीसदी ब्याज की छूट एक बड़ा फैसला है।

– राजेश कुमार खेतान, **कार्यकारिणी सदस्य, बीसीसीआई**

"बजट में मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया है जो बिहार के दृष्टिकोण से काफी अहम है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में श्रमिक है। इस योजना के तहत आने वाले लोग इसका लाभ उठा पायेंगे। इसके लिए उन्हें हर माह केवल 100 रुपये का योगदान देना होगा जो किसी श्रमिक के लिए बजट के दायरे में होगा।"

– सुबोध जैन, **पूर्व कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई**

"बजट आम जनता के हित को ध्यान में रख कर बनया गया है। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए सहायता देने की घोषणा सराहनीय है। इससे सूबे के एमएसएमइ उद्योग से जुड़े लोगों को आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। सरकारी

उपक्रमों को जेम के जरिये 25 फीसदी खरीदारी का एलान करने से छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा।"

– आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य, बीसीसीआई

"किराये के लिए टीडीएस की थ्रेसहोल्ड 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये की गयी। साथ ही दूसरे घर से मिलने वाले नेशनल रेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस और बैंक बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40 हजार रुपये तक के ब्याज पर कर की कटौती (टीडीएस) का लाभ एक बहुत बड़े वर्ग को मिलेगा।"

– सुनील सराफ, कार्यकारिणी सदस्य, बीसीसीआई

"सरकार ने अपने अंतरिम बजट में चुनाव से पूर्व लोगों को लुभाने का काम किया है। इसमें विशेष कर युवा और महिलाओं को केन्द्र पर रखा है। कई ऐसी घोषणाएँ बजट में की गयी है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। हालांकि बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज की घोषणा करने की उम्मीद थी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ।" – राजेश मखरिया, कार्यकारिणी सदस्य, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2019)

चैम्बर अध्यक्ष की अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया

"एसएमई सेक्टर को रियायत देने एवं आनेवाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। बजटीय घोषणाओं से छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज नहीं मिलने से निराशा हुई है।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.2.2019)

"बिहार की जनता के साथ उद्यमी एवं व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। पाँच लाख रुपये तक आय वालों को शून्य आय का तथा विभिन्न डिडक्शन एवं इनसेंटिव के फलस्वरूम 6.5 लाख तक आयकर मुक्त हो जायेगा। खास कर वेतनभोगी, अल्प आय व्यक्ति, इन्टरेस्ट आय इत्यादि को राहत मिलेगी। बजट में भारत को प्रदूषण मुक्त करने, एसएमई सेक्टर को 2 प्रतिशत रियायत देने एवं आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। बजटीय घोषणाओं से छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि बिहार के लिए इस अंतरिम बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमें थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान के हिसाब से इस बजट को सराहनीय कहा जा सकता है।" – पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.2.2019)

विशेष पैकेज की थी आशा

"बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश बजट पर कहा कि बिहार की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास हेतु अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहाकि पाँच लाख रुपये तक की आय वालों को शून्य आय का तथा विभिन्न डिडक्शन एवं इनसेन्टीव के फलस्वरूप 6.5 लाख तक आयकर तक आयकर मुक्त हो जायगा।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : आज, 2.2.2019)

"यह बजट संतुलित और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। इसमें किए गए इनकम टैक्स के प्रावधान भी अच्छे हैं।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2019)

BIZMEN SLAM VOTE-ON- ACCOUNT FOR OVERLOOKING SPECIAL PACKAGE

Trade and Industry bodies in Bihar hit out at finance minister Piysush Goyal for overlooking their demand for a special economic package in the interim Budget.

"The Budget overlooked the state's interest and stopped short of making any reference to a special economic package for the industrially backward state," said Bihar Chamber of Commerce and Industries president P. K. Agrawal.

He said the Budget had left them disappointed as it did not have any new proposal for the state.

"Special economic assistance was the need of the hour to help the state grow in tandem with the national growth average," the BCCI President said.

Agrawal, however, lauded the Budget over tax rebate to individual tax payers, hike in the interest amount to Rs 40,000 from Rs 10,000 and raising the limit for standard deduction, besides the provision for 2% interest subvention for loan up to Rs 1crore for GST registered micro, small and medium enterprises.

(Source : Hindustan Time, 2.2.2019)

HIGHLIGHTS OF BIHAR BUDGET 2019-20

NO TAXES, NO NEW SCHEMES IN STATE'S BIGGEST-EVER BUDGET

Fiscal Deficit Contained At Rs 16,101.05 Cr

Deputy chief minister Sushil Kumar Modi on 12.02.2019 presented a budget of more than Rs 2 Lakh crore for 2019-20, which is the highest so far prepared by any government in the state.

Bihar Prospers On Robust Economy :

• Highest budget worth Rs. 2,00,501.01 cr since 2004-05 • Fiscal deficit Rs 16, 101, 5 cr, 2.81% of GSDP • No new taxes imposed, no new schemes announced • Scheme/plan expen-diture Rs 1.01 lakh cr • Establishment & commitment expenditure (like salary, pension, interest payment, etc.) Rs 99,110.01 cr • Revenue receipts from central taxes Rs 89,121.79 cr • Central grants on centrally supported schemes Rs 49,019.38 cr • State's non-tax revenue (like mines, interest receipts on money parked in banks, irrigation, others) Rs 4.806.47cr • States' own tax revenue Rs 33,800cr (**commercial taxes** 25,500 crore, **stamp and registration** Rs 4,700 cr, **transport** Rs 2,500 crore, **land revenue** Rs 1,100 cr) • Total revenue expenditure Rs 1.55 lakh cr • **Market borrowings** Rs 24, 420.74 cr • Revenue surplus Rs 21,516 cr • Total revenue receipts Rs 1,76 lakh cr • **Outstanding public debt** Rs 1,47,360.51 lakh crore • Interest payment Rs. 10,723.47 cr.

• Edu gets maximum allocation of 20.31% • Provision to give facelift to Patna • Work to begin on 11 medical colleges

(Source : Times of India, 13.2.2019)

व्यवसायियों को राहत, सरकार को मिलेगा राजस्व

इस योजना से न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 फीसदी की वृद्धि कर 2,00,501 करोड़ किये जाने से राज्य के विकास कार्यों में गति मिलेगी।

विश्लेषण

बजट में वैट के पूर्व के लंबित मामलों के निबटारे के लिए एक मुश्त समझौता योजना लाया है। इस योजना से न केवल व्यवसायियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 फीसदी की वृद्धि कर 2,00, 501 करोड़ किये जाने से राज्य के विकास कार्यों में गति मिलेगी। साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास को सात निश्चयों को कार्यान्वित कराने की दिशा में यह बजट काफी कारगर सिद्ध होगा। राज्य में 11 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आइटीआइ व महिला आइटीआइ खोलने व उसके विस्तार करने, सभी थानों का कंप्यूटरीकृत करने, पटना में सीसीटीवी का विस्तार करने, पटना मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल का विस्तार और पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट विकास का परिचायक है। खुशी की बात है कि बिहार का ग्रोथ रेट पहले नंबर पर है और राज्य में हो रहे अच्छे कार्यों को ध्यान में रखते हुए 11 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा बिहार सब्जी

उत्पादन में देश में तीसरा और फल उत्पादन में छठे स्थान पर है। बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के चहुमुखी विकास पर बल देने के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

चैम्बर द्वारा सरकार को समर्पित बजट पूर्व ज्ञापन में मांग की गयी थी कि उद्योग विभाग का बजट को बढ़ा कर 200 करोड़ किया जाये। औद्योगिक विकास निधि का गठन हो, बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने को दबाव बनाया जाये, भूमि बैंक की स्थापना की जाये तथा उद्योगों के लिए जगह-जगह पर इलाकों को चिह्नित किया जाये, सूचना प्रोद्यौगिकी को स्वतंत्र उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके लिए आगामी बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया जाये तथा स्थानीय आइटी उद्यम को बढ़ावा दिया जाये। चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाया जाये, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराया जाये, राज्य में अवस्थित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को 15 फीसदी की सहूलियत दी जाये तथा 25 फीसदी की खरीद स्थानीय उद्योगों से किया जाये, जीएसटी की प्रतिपूर्ति का कोई फॉर्मूला बनाया जाये, प्रोफेशनल टैक्स की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था हो, उद्योगों के लिए भी बिजली में सब्सिडी का प्रावधान किया जाये तथा बिजली की दर पड़ोसी राज्यों यथा झारखण्ड व पश्चिम बंगाल से तुलनात्मक बनाया जाये, पथ कर अधिक होने की वजह से महंगे वाहन लोग दूसरे राज्यों से खरीद रहे हैं जिसके कारण राज्य को राजस्व की हानि हो रही है इसका उचित समाधान निकाला जाये इत्यादि, सुझाव पर भी विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन, इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया, जो दुखद पहलू है।

विकास कार्यों में गति मिलेगी : • बिहार का ग्रोथ रेट एहले नंबर पर है • 11 मेडिकल कॉलेज, एंलिटेक्निक, आइटीआइ व महिला आइटीआइ खोलने व उसके विस्तार करने की योजना • बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा और फल उत्पादन में छठे स्थान पर है • चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 13.2.2019)

विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं किए जाने का चैम्बर द्वारा स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2019 को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत दरों को यथावत रखे जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि वितरण कंपनियों का सरप्लस करीब 2500 करोड़ का है इस कारण ऐसी आशा की जा रही थी कि विद्युत दरों में कमी आएगी। विद्युत दरें कम होने से न केवल व्यापार एवं उद्योग बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलती। उन्होंने आगे कहा कि आज के आधुनिक समय में राज्य का औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास सभी बिजली पर निर्भर है अत: राज्य की विद्युत दरें जितनी अन्य पड़ोसी राज्यों के समतुल्य होगी उतना ही राज्य का विकास होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत कंपनियों को जारी निर्देश जिसमें उन्होंने इनर्जी एकाउन्टिंग, ऊर्जा क्रय करने में मेरिट आर्डर डिसपैच पद्धति को अपनाने, विपत्रीकरण एवं राजस्व वसूली में दक्षता बढ़ाने, उपभोक्ताओं के शिकायतों का निष्पादन करने में ऑन-लाईन निष्पादन प्रणाली को विकसित करने, परसिम्पतियों का पंजी संधारन करने इत्यादि जैसे आयोग का निर्देश काफी प्रशंसनीय है इससे विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित

एसएलबीसी की बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, वित्तीय तथा बैंकों के अधिकारीगण एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

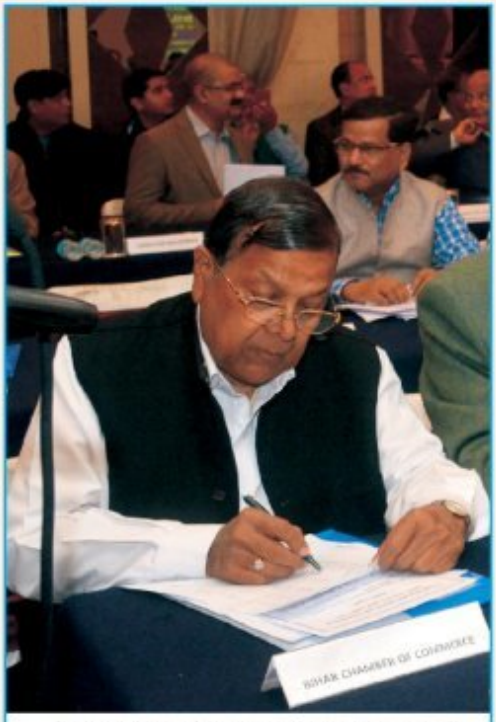

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक दिनांक 27 फरवरी 2019 को माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी सम्मिलित हुए एवं अपना सुझाव भी दिया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में उपमुख्यमंत्री बोले

सभी गाँवों में बहाल होंगे बैंकमित्र पहुँचायी जायेंगी बैंकिंग सुविधाएँ

राज्य के लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ मिले, इसके लिए सभी गाँवों में बैंकमित्र की बहाली की जायेगी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 67वीं बैठक को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं में लाभुकों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किये जा रहे हैं। उन्हें पैसे निकालने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सभी एक लाख आठ हजार गाँवों में कम से कम एक बैंक मित्र या बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट की बहाली की जाये। इसमें जीविका की दीदियों को तरजीह दी जा सकती है। उन्होंने आगामी एसएलबीसी की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण बांटने में बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जतायी। उन्होंने सभी बैंकों को हर हाल में 90 लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया। मोदी ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ सरकार किसी तरह का कारोबार नहीं करेगी। बैंकों को एक लाख 30 हजार करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें महज 74 हजार 618 करोड़ रुपये के ही ऋण बांटे गये, जो लक्ष्य का 57.40 प्रतिशत है। पिछले साल इस दौरान यह प्रतिशत 66.50 था। कृषि में महज 47 फीसदी ही ऋण वितरित हुए हैं। इसके साथ ही बैंकों का साख-जमा अनुपात (सीडी रेसियो) भी 43.18 प्रतिशत ही है।

पहली बार सभी जिले जुड़े : इस बार एसएलबीसी की बैठक में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले जुड़े हुए थे। ऋण बांटने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पाँच जिले गोपालगंज, मधेपुरा, जहानाबाद, सीवान और बांका को फटकार लगाते हुए उपमख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा। अन्य कई जिलों से भी बैंकिंग सेवाओं की स्थिति जानी गयी। इस कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, आरबीआइ जीएम मनोज रंजन, एसबीआइ महाप्रबंधक वीएस नेगी, आरके दास समेत अन्य ने भी संबोधित किया।

केसीसी से मिलेगा अब एक लाख साठ हजार तक ऋण : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये अब बिना किसी मोरगेज के एक लाख 60 हजार तक का लोन मिलेगा। पशुपालक, मुर्गीपालक, मछली पालक को भी केसीसी मिलेगा। जल्द ही वित्त विभाग में बैंकिंग कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए बैंकिंग निदेशालय का गठन कर लिया जायेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 28.2.2019)

उड़ान में छह घंटे की देरी पर पूरा पैसा वापस होगा

नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने हवाई यात्रियों को अधिकार देने वाला पैसेंजर चार्टर को जारी किया। इसमें उड़ान में छह घंटे की देरी पर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश है।

चार्टर में स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी घरेलू फ्लाइट में छह घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो एयरलाइन को यात्री के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या टिकट का पूरा पैसा लौटाना होगा। अगर फ्लाइट रवाना होने के 14 दिन से 24 घंटे के पहले तक एयरलाइन उड़ान रद्द करती है तो उसे वैकल्पिक भी उड़ान मुहैया करानी होगी या पूरा रिफंड करना होगा। यात्री को 24 घंटे पहले तक जानकारी नहीं देने पर एयरलाइन यात्री को वैकल्पिक उड़ान में सीट देगी या पूरा पैसा वापस करने के साथ 10 हजार रुपये तक हर्जाना देगा।

यात्री टिकट रद्द करे तो अतिरिक्त शुल्क नहीं : एयरलाइन को स्पष्ट बताना होगा कि यात्री टिकट रद्द करता है तो कितना पैसा कटेगा यात्री द्वारा टिकट रद्द कराने की स्थिति में कंपनी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। उसे सभी शुल्क और कर वापस करने होंगे और रिफंड की राशि क्रेडिट शेल में वापस करने का विकल्प होगा।

• 14 दिन पूर्व, निर्धारित समय के उड़ान रद्द होती है तो पूरा रिफंड • 06 घंटे से ज्यादा देरी पर वैकल्पिक फ्लाइट या टिकट रिफंड मिलेगा • 20 हजार तक हर्जाना सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने पर • 24 घंटे टिकट बुकिंग के नाम में बदलाव हो तो कोई शुल्क नहीं

क्षमता से ज्यादा बुकिंग पर देना होगा मुआवजा : चार्टर कहता है कि अगर किसी फ्लाइट में क्षमता से ज्यादा टिकट की बुकिंग होती है तो पीड़ित यात्री एयरलाइन से मुआवजा मांग सकता है। लेकिन वह मुआवजे का तभी हकदार होगा, जब एयरलाइन एक घंटे के भीतर दूसरी फ्लाइट उसे उपलब्ध न कराए। चार्टर में पहली बार बैगेज को नुकसान या उसके खोने पर हर्जाने का प्रावधान किया गया है। विमान सेवा कंपनी को अधिकतम 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा। सामान खोने या खराब होने की स्थिति में अधिकतम 350 रुपये प्रति किलोग्राम का हर्जाना देय होगा। टिकट बुक कराने के 24 घंटे के भीतर नाम में संशोधन के लिए विमान कंपनी कोई शुल्क नहीं ले सकती।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.2.2019)

33,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में मेट्रो रेल सहित 33,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री रविवार 17 फरवरी 2019 को सुबह विशेष विमान से पटना पहुँचे जहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बेगूसराय गए।

मोदी ने बेगूसराय जिले के बरौनी में एक कार्यक्रम में रिमोट के जरिये मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 13,000 करोड़ की मेट्रो की परियोजना विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने पटना में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट के पहले चरण और पटना शहर गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने छपरा और पूर्णिया में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी और साथ ही भागलपुर तथा गया में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के नवीनीकरण की नींव रखी।

उन्होंने पटना में सिटी गैस नेटवर्क का उद्घाटन पटना और मुजफ्फरपुर को एलपीजी पाइन से जोड़ने का ऐलान भी किया। (साभार : बिजनेस स्टेडर्ड, 18.2.2019)

ट्रेन की खाली सीटें ऑनलाइन दिखेंगी

सहूलियत : • चार्ट बनने के बाद खाली सीट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे यात्री • बीच स्टेशन के यात्री चलती ट्रेन में पता कर सकेंगे खाली सीट

रेल मंत्रालय ने एक अनोखी पहल करते हुए सभी ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट एयरलाइंस की तर्ज पर ऑनलाइन कर दिया है। इसका फायदा उठाकर यात्री खुद से खाली सीट का पता लगा कर टीटीई से उसकी बुकिंग करा सकेंगे।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल भवन में इस सेवा को ऑनलाइन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सफर के दौरान खाली बर्थ-सीट की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए सभी टीटीई को हैड हेल्ड टर्मिनल दिए जाएंगे। इससे ट्रेन टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और यात्रियों को टीटीई के पीछे नहीं जाना पड़ेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.2.2019)

ज्वेलरी पार्क बनाने की ज्वेलरों की मांग

राजधानी में ज्वेलरों के लिए पाटलिपुत्र में ज्वेलरी पार्क बनाने की मांग उठी है। ज्वेलरों ने बियाडा से इसके लिए जमीन की मांग की है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि ज्वेलरी पार्क में शहर के सोना-चाँदी व्यवसायियों के लिए एक जगह निर्धारित हो सकेगी।

दूसरी ओर बाकरगंज में एमसीएक्स द्वारा 'बुलियन हेजिंग के प्रयोग' के जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उद्घाटन राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने किया। डीजीपी ने कहा अपराध पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर धमेन्द्र, कमल नोपानी, रौशन कुमार स्वर्णकार सहित कई जिलों से आए सोना व्यवसायी मौजूद थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.2.2019)

बिहार के 21 शहरों के घरों में रसोई गैस की सप्लाई पाइप से होगी, लाइसेंस जारी

पीएनजीआरबी ने 10वें दौर की नीलामी के विजेताओं का ऐलान किया

तेल-गैस नियामक पीएनजीआरबी ने शहरों में घरों में पाइप से रसोई गैस वितरण के लाइसेंस के लिए 10वें दौर की नीलामी के विजेताओं का ऐलान कर दिया है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल (आईओसी) को 10 शहरों के लिए जबकि एचपीसीएल को नौ शहरों में गैस की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस पाने में सफलता मिली है। इस दौर की नीलामी में 50 भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे। लाइसेंस भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से दिए जाते हैं। एक भोगौलिक क्षेत्र में कई शहर हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के मुताबिक आईओसी ने नौ शहरों में अकेले, जबकि एक शहर में अदाणी गैस के साथ मिलकर लाइसेंस प्राप्त किया है। इनमें बिहार के 21 और झारखंड के 6 शहर शामिल हैं।

इन शहरों के लिए लाइसेंस : अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगाड़िया, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, भागलपुर, भुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 28.2.2019)

सुप्रीम आदेश : आयकर रिटर्न फाइल के लिए पैन को आधार से लिंक कराना होगा

• 26 सितम्बर 2018 को बेंच ने दी थी आधार को सवैधानिक वैधता • 139- एए धारा इनकम टैक्स एक्ट को कंपनी ने बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने को कहा कि इनकम टैक्स रिटने फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139-एए को बरकरार रखा है। बेंच ने यह फैराला दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ केन्द्र की याचिका पर दिया। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.2.2019)

खाते से अवैध निकासी हुई तो बैंक जिम्मेदार : हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक उनके ग्राहकों के खातों से गलत तरीके से होने वाली निकासी के दायित्व से बच नहीं सकते। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ग्राहकों के एसएमएस अलर्ट पर प्रतिक्रिया न देने पर भी बैंक अनाधिकृत निकासी के लिए उत्तरदाई होंगे। अदालत ने कहा कि एसएमएस अलर्ट ग्राहक के दायित्व को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे खाताधारक हो सकते हैं जिन्हें नियमित रूप से एसएमएस अलर्ट देखने की आदत न हो। निचली अदालत ने हाल ही में एसबीआई को अपने उस खाताधारक को मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे अपने खाते से अनाधिकृत निकासी से 2.4 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। बैंक ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। (साभार : हिन्दुस्तान, 7.2.2019)

आयकर का आकलन दो वर्षों में पूरी तरह फेसलेस ढंग से होगा : सीबीडीटी

किसी भी करदाता को टैक्स अधिकारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा

अगले दो वर्षों में आयकर का मूल्यांकन पूरी तरह फेसलेस होगा। यानी करदाता को टैक्स अधिकारियों का सामना नहीं करना होगा। यह बात इनकम टैक्स की नीति बनाने वाली बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुनील चंद्रा ने कही। उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले साल 2.06 लाख आयकर आकलन पूरी तरह ऑनलाइन हैंडल किए। यह करदाताओं को नेमलेस (नाम रहित) और फेसलेस (चेहरा रहित) सेवा देने की योजना के तहत किया गया। उन्होंने कहा, 'सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) 2.0 को स्वीकृति देना भी इसी का हिस्सा है। सीपीसी 2.0 के कई फायदे हैं। इसकी मदद से टीडीएस के जरिए हम जो जानकारी हासिल करते हैं उसके आधार पर करदाता को पहले से भरा हुआ एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 24 घंटे के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा। हमने सीपीसी 2.0 के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करने वाले वेंडर से कहा है कि अगर रिटर्न एक दिन में ही प्रोसेस हो जाता है तो उन्हें अतिरिक्त पेमेंट मिलेगा। हमे उम्मीद है कि यह सिस्टम दो साल में लागू हो चाएगा।'

चंद्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में रिटर्न के मामले में आयकर अधिकारियों का अप्रोच दो तरह का होगा। पहला, विभाग केवल वेरिफिकेशन का काम करेगा और टैक्स अधिकारी आकलन के लिए नहीं जाएँगे।

अब भी सिर्फ 0.46% आयकर रिटर्न की स्क्रूटनी : अभी बेंगलुरू में मौजूद सीपीसी आयकर विभाग का नोडल कार्यालय है। यह सभी तरह के करदाताओं के रिटर्न हैंडल करता है और उन्हें सर्टिफिकेट और रिफंड जारी करता है। चंद्रा ने कहा कि अब भी सिर्फ 0.46% आयकर रिटर्न की स्क्रूटनी होती है। 99.54% रिटर्न उसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जिस रूप में करदाता जमा करते हैं। (साभार : दैनिक भास्कर, 4.2.2019)

• जन सुनवाई पूरी • उद्यमियों व आम उपभोक्ताओं ने किया विरोध, फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा फैसला

आयोग ने कहा : बिजली शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव नियमों के हिसाब से नहीं, 8 तक मांगे कागजात

बिजली शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर को विधुत भवन स्थित विनियामक आयोग के कोर्ट रूप में जनसुनवाई पूरी ही गई। उद्यमियों व आम उपभोक्ताओं के विरोध के बाद आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी और बिहार ग्रिड के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा– भाई-भतीजावाद कर उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाल सकते। आपलोग कोर्ट का आदेश मानते हैं या नहीं ? नियम-कानून के हिसाब से प्रस्ताव तैयार क्यों नहीं करते? दोनों कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के साथ अन्य कागजात 8 फरवरी तक जमा करने का आदेश दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी कहा कि फरवरी के अंत तक फैसला सुनाया जाएगा।

ट्रांसमिशन कंपनियों की खामियों से बढ़ रहा लॉस : श्री संजय भरतिया ने कहा कि ट्रांसमिशन कंपनियों की खामियों के कारण लॉस बढ़ रहा है। इसे दूर करने की बजाए कंपनी डिमांड करने में जुटी है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ट्रांसमिशन कंपनी का लॉस 3.92 फीसदी मंजूर किया था लेकिन, ट्रांसमिशन कंपनी का लॉस 4.49 फीसदी हो गया है। कंपनी ने वित्तीय

प्रस्ताव मंजूर हुए तो क्या पड़ेगा असर

उपभोक्ता की श्रेणी	मौजूदा फिक्स चार्ज	ये दिया है प्रस्ताव
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता	रु 20 प्रति किलोवाट	रु 35 प्रति किलोवाट
शहरी घरेलू उपभोक्ता	रु 40 प्रति किलोवाट	रु 50 प्रति किलोवाट
कुटीर ज्योति उपभोक्त	रु 10 प्रति कनेक्शन	रु 16 प्रति कनेक्शन
एनडीएस-1 श्रेणी ग्रामीण	रु 30 प्रति किलोवाट	रु 55 प्रति किलोवाट
एनडीएस-2 श्रेणी शहरी	रु 180 प्रति किलोवाट	रु 190 प्रति किलोवाट
एचटीएस श्रेणी	रु 300 प्रति किलोवाट	रु 330 प्रति किलोवाट
आरटीएस श्रेणी	रु 280 प्रति किलोवाट	रु 330 प्रति किलोवाट

ऊर्जा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

शहरी धरेलू उपभोक्ता			ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता		
यूनिट	वर्तमान	प्रस्ताव	यूनिट	वर्तमान	प्रस्ताव
1 से 100	6.15 रुपए	6.45 रुपए	1 से 50	6.15 रुपए	6.40 रुपए
101 से 200	9.95 रुपए	7.20 रुपए	51 से 100	6.40 रुपए	6.70 रुपए
201 से 300	7.80 रुपए	7.90 रुपए	101 से ऊपर	6.70 रुपए	7.15 रुपए
300 से ऊपर	8.60 रुपए	8.80 रुपए			

नोट : अभी राज्य सरकार शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.83 रुपए प्रति यूनिट और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 3.50 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दे रही है।

वर्ष 2018-19 के लिए 4.73 फीसदी लॉस मंजूर करने की मांग की है। जबकि, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 30 फीसदी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 22 फीसदी और राष्ट्रीय मानक के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य दे रख है। ऐसी स्थिति में प्रति यूनिट एक रुपए दर कम होनी चाहिए या फिक्स जार्ज और डिमांड चार्ज खत्म करने का सुझाव दिया।

कंपनी का क्या है तर्क : बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से कंपनी के सलाहकार भास्कर शर्मा ने कहा कि पीक आवर में डिमांड दोगुनी होती है। बाकी समय में डिमांड आधी हो जाती है। ऐसी स्थिति में ट्रांसमिशन लॉस बढ़ रहा है। वहीं, बिहार ग्रिड कंपनी के अधिकारी ने जुलाई में लॉस का सही फिगर बताने की बात कही। इस मौके पर एक्सपर्ट नंद शर्मा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सुभाष पटवारी सहित पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अधिकारी मौजूद थे।

जो राशि खर्च नहीं हुई है उसे वापस करें : बिहार ग्रिड कंपनी ने नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 204.45 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए लेकिन 115.73 करोड़ रुपए ही खर्च किए। शेष पैसा वापस करने की जगह विभिन्न खर्च में बराबर करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के आलोक में आयोग के सदस्यों ने नियम-कानून का हवाला देते हुए पैसा वापस करने का आदेश दिया है। इधर, उपभोक्ताओं का पक्ष रखते हुए मोतिहारी के उपभोक्ता ने कहा कि कंपनियाँ आम जनता और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इस मद का पैसा उस मद में कर उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है। यदि सबकी बिलिंग की जाए, हर माह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लगे मीटर से बिलिंग का मिलान हो तो चोरी रुकेगी। राज्य सरकार को अनुदान नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने विभिन्न चार्ज को मोबाइल कंपनियों की तरह एक चार्ज में बदलकर प्रति यूनिट बिल बनाने की मांग की।

ये भी प्रस्ताव : • एलटीआईएस- 1 व 2 और आईएएस- 1 व 2 को समायोजित कर एलटीआईएस और आईएएस का नया श्रेणी बनाना • पीडब्लूएस के तहत हर घर नल की उप श्रेणी बनाना • स्ट्रीट लाइट सेवा ग्रामीण के लिए एसएस - 1 श्रेणी और शहरी क्षेत्र के लिए एसएस-2 श्रेणी बनाना • ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 1.5 प्रतिशत छूट • एनडीएस - 1 श्रेणी के संबंध भार के लिए निर्धारित सीमा 2 किलोवाट को समाप्त करना।

(साभार : दैनिक भास्कर, 6.2.2019)

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में तेजी लाने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में स्मार्ट प्री-पेड मीटर सिस्टम की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प में ऊर्जा विभग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की इस दौरान विभाग की तरफ से योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया गया।

सीएम ने जर्जर तारों को बदलने को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जर्जर तार को बदलने के लिए तेजी से काम करते रहना है। कहीं भी कोई जर्जर तार नहीं छूटे इसका पूरा ख्याल रखा जाये। इसी क्रम में स्मार्ट प्री-पेड मीटर सिस्टम के बारे में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर लग जाने से बिजली की बेवजह खपत रुकेगी और लोगों को बिजली बिल जमा करने की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी।

इस बैठक में ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, सीएम के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के. के. पाठक, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, एपीडीसीएल के एमडी आर. लक्ष्मण, एसपीडीसीएल एमडी संदीप पुदुगल कट्टी, सीएम सचिवालय के संयुक्त सचिव चंद्रशेखर सिंह, सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 6.2.2019)**

ट्रांसमिशन लॉस कम करके किसानों को मुफ्त दें बिजली

प्रस्तावित विद्युत टैरिफ दर पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में जन सुनवाई

साउथ व नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने आय-व्यय का ऑडिट नहीं कराया है। इसके बावजूद विद्युत टैरिफ हर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ट्रांसमिशन लॉस कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाये। ट्रांसमिशन लॉस 40% से घट कर 30% रह गया है। वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष में इसे15% तक कम करने का लक्ष्य है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि के प्रस्तावित टैरिफ दर पर आयोजित जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने कहीं। आयोग के अध्यक्ष एस. के. नेगी की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में आम बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसान व उद्योगपति भी शामिल हुए। उन्होंने प्रस्तावित बिजली दर को लेकर अपने विचार रखे।

बिना मीटर वाली श्रेणी खत्म हो : औद्योगिक क्षेत्र से आये सुभाष पटवारी व संजय भरतिया ने कहा कि विद्युत कंपनी केबीएच या केडब्ल्यूएच में खरीदारी करती है, तो उसी के अनुरूप बिजली दर वसूलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं है, वहीं, झारखंड व पश्चिम बंगाल की तरह ही औद्योगिक कनेक्शन होना चाहिए। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने ऑडिट नहीं कराया है और टैरिफ दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। यह ठीक नहीं है। वहीं, बिना मीटर वाली श्रेणी को खत्म करना चाहिए। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.2.2019)**

GOVT THROWS OPEN SOLAR POWER PORTAL TO PUBLIC

The state government will make an effort to scale up its subsidy to match the Central government's subsidy offered to those opting for solar power in order to provide an impetus to renewable energy in Bihar.

Speaking at a function to launch grid connected solar power plant atop residential buildings in the state, energy minister Bijendra Prasad Yadav said his department would put up a proposal to match 30% subsidy offered by the Central government to consumers.

Against a total subsidy of 55% offered to consumers opting for grid connected solar power, the state government offers, as of now, 25% subsidy. The remaining 30% is borne by the Central government.

He said those opting for solar power plants on rooftops will be able to save up to 80% of their current bills.

Interestingly, farmer were elighible to a government subsidy of 75% for installing solar water pumps whereas subsidy for domestic household was restricted only to 55%.

Yadav also advised his officials to survey all educational institutions to give solar energy a major push.

Earlier, principal secretary, energy, Pratyaya Amrit, who is also the chairman of the Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA), said the department would float tenders to set up 500 M W solar power plants at Kajra in Lakhisarai district and Pirpainty in Bhagalpur district. He said the department would like to take approval of the cabinet betore the model code of conduct for general elections came into effect next month.

Explaining about the ' Mukhya Mantri Navin and Navikarniya Yojana' (chiefminister new and renewable energy scheme), BREDA director Alok kumar said installation of 11.25 MWP (mega-watt peak) grid connected rooftop solar power plant would be done on a first-come-first- serve basis.

The developer will also offer five-year maintenance facility to consumers opting for solar power.

Bihar has already under taken the task to tap all government Buildings to harness solar power.

PUSH FOR THE CLEAN ENERGY

About The Scheme : • Up to 11.25 MWP (mega-watt peak) grid connected rooftop solar power plant open to public on first-come -first-serve basis • Building owners can apply (for free) on portal www.breda.bih.nic.in • Project cost for 1 to 10 KWp (kilo-watt peak) rooftop solar power plant is Rs. 56,800 per KWp.

• Beneficiary has to pay 45% cost (the remaining 55% is govt subsidy) up front within 10 days of the executing agency raising the demand note, failing which application will be rejected • Developer to maintain plant for first five years • once set up, beneficiary will not have to pay any energy charge for solar power thus generated from his/her rooftop plant • The government offers 55% subsidy to set up solar plant, of which the state bears 25% and Centre 30% • Solar power plant generates 4 units (approx.) per day • A minmum of 10 square metres shadow-free area is requlred for 1 kWp rooftop solar power plant atop any building • The generation capacity of rooftop solar power plant cannot be more than the existing contract energy demand of the consumer

Application Requirement : • Scanned copy of current energy bill • Beneficiary Aadhaar card • Notary affidavit for ownership of roof • Recent photograph and signature • Consumer has to select any of the five empanelled agencies Solex, Energy United, Novus Green, Expression Buildtech, Prostarm-to execute the work • Last date of receiving application is February ,28,2019

(Source : Hindustan Time, 3.2.2019)

IN ITS BID TO GO GREEN, BSNL TO SEND BILLS TO SUBSCRIBERS THROUGH E-MAIL

Don't be surprised if you do not receive your landline, mobile or other utility bills from BSNL from next month.

The BSNL, as part of its 'go green' initiative, has decided to implemente-billing and not print utility bills, which had to be dispatched by post. Many subscribers used to complain that they would not receive teleplone bills through the postal department for which the telecom department had to pay the India Post Rs 5 per bill.

Now, by registering for e-bills, a consumer would be entitled to a discount of Rs 10 in one's monthly bill. Unlike some other utilities like the electricity department, the BSNL, however, had nothing to offer as discount to consumers for online payment of their bills.

(Details : Hindustan Time, 3.2.2019)

DELHI-BIHAR BUS PROPOSAL IN LIMBO

The Bihar government's plan to run buses from national capital to various destinations in the state has been in limbo with the transport department of Delhi government remaining non-committal on granting permission for the service.

Sources said the proposal of Bihar State Road Transport Corporation (BSRTC) had been given in-principle nod by the ben transport commissioner Varsha Joshi. However, the file on it was later summoned by transport minister Kailash Gahlot.

"The file is still lying with the transport minister for nearly two months now," they said. No immediate reaction was available from Gahlot. Bihar transport secretary Sanjay Agarwal said he was not aware of the current status of the file.

"We have applied for the permit from the Delhi government's transport deptt., but approval is still awaited," Agarwal said. PTI

(Source : Times of India, 6.2.2019)

फिर से कर्ज बांटेंगे बिहार के वित्त संस्थान

बिहार सरकार अपने वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन संस्थानों की माली हालत दुरुस्त करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार अब शेयर और डिवेंचर के बदले भी इकाइयों को पूंजी उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार ने अपने इस फैसले के तहत खास तौर पर बिहार राज्य वित्तीय निगम (बीएसएफसी), बिहार निवेश विकास निगम (बीएसआईडीसी) और बिहार साख व निवेश निगम (बिसिको) में दोबारा जान फूंकने का फैसला लिया है। बिहार के उद्यमियों को कर्ज देने में बैंकों की बेरुखी के मद्देनजर इन्हें फिर शुरू किया जा रहा है। साथ ही, परंपरागत ऋण से अलग हटकर ये संस्थान अब शेयर और डिबेंचर में भी निवेश करेंगे। उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, 'हम वित्त मुहैया कराने के बारे में काफी गंभीरता से विचार कर रहे है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बीएसआईडीसी को मजबूत कर रहे हैं। इस संस्था को शेयर और डिबेंचर के माध्यम से वित्त मुहैया कराने की इजाजत देने पर विचार हो रहा है।'

इसके अलावा, राज्य सरकार को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से भी बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य सरकार अपने वित्तीय संस्थानों के बकाएदारों के लिए इस योजना को लेकर आई है। इसके तहत बकायेदारों को मूलधन का भुगतान करना होगा। कुछ मामलों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा। इसके बाद उद्यमियों को सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाएगी।

(साभार : बिजनेस स्टेंडर्ड, 9.2.2019)

प्लॉट की बिक्री पर बगलगीर का अब नहीं होगा पहला हक

नया कानून : • रजिस्ट्री के तीन महीने में पैसे जमा करने पर भी नहीं बदलेगा मालिकाना हक •1960 में बनाए गए नियम को बदलने की सरकार ने शुरू की पहल।

राज्य सरकार ने छोटे किसानों और रैयतों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमीन खरीदने में आ रही दिक्कतों को दर करने की पहल की है। अब कोई भी किसान या रैयत बिना किसी व्यवधान के उस प्लॉट की भी खरीदारी कर सकता है, जो दूसरे के प्लॉट से सटा हुआ होगा। अबतक के नियमों के मुताबिक बिक्री वाले प्लॉट पर बेचने वाले किसान के हिस्सेदार या पड़ोसी का पहला अधिकार बनता था। उक्त जमीन की रजिस्ट्री वाली कीमत और 10 फीसद अतिरिक्त राशि देकर बगलगीर जमीन की रजिस्ट्री विधिवत अपने नाम करा सकता था।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.2.2019)

क्या है एफआरबीएम कानून

सरकार जब बजट पेश करती है तो वह अपनी आय-व्यय के साथ-साथ घाटे का ब्यौरा भी देती है। घाटे की भरपाई ऋण से होती है जिससे खजाने पर ब्याज का बोझ बढ़ता है। यही वजह है कि सरकार हर साल घाटे को नियंत्रित करने का लक्ष्य तय करती है। ये लक्ष्य 'एफआरबीएम कानून - 2003' के तहत तय किए गए हैं। यह कानून कब बना? इसमें क्या प्रावधान हैं?' जागरण पाठशाला' में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

सरकार ने 2003 में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून' बनाया। एफआरबीएम कानून संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत बना है जिसके प्रावधानों के अनुसार संसद कानून बनाकर सरकार की कर्ज लेने की सीमा तय कर सकती है। अनुच्छेद 292 में केन्द्र तथा अनुच्छेद 293 में राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने के संबंध में व्यवस्था दी गई है। इन अनुच्छेदों के भाव के अनुरूप ही यह कानून बना है।

'एफआरबीएम कानून- 2003' बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकारों ने अपना राजस्व बढ़ाने के उपाय किए बगैर 'डेफिसिट फाइनेंसिंग' यानी उधार लेकर खर्च करने की परिपाटी बना ली थी। साल-दर-साल घाटा बढ़ता जा रहा था और सरकार पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा था। हाल ऐसा था कि पिछली सदी के नौवें दशक (1980 से 1990 के बीच) में केंद्र और राज्यों का सम्मिलत राजकोषीय घाटा उनके जीडीपी के नौ फीसद और आखिरी दशक में 10 फीसद तक पहुँच गया। अकेले केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा ही छह फीसद से ऊपर था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने वर्ष 2,000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजटीय प्रबंधन विधेयक पेश किया, जो दो-ढाई साल तक संसद में लंबित रहने के बाद आखिरकर 26 अगस्त, 2003 को पारित हुआ। इस कानून में राजकोषीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन फीसद पर लाने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य तीन फीसद ही क्यों तय किया गया, इसको लेकर एक धारणा यह बन गई है कि भारत ने इसकी प्रेरणा यूरोपीय संघ से ली। लेकिन यह सही नहीं है। यह है कि भारतीय परिवारों की घरेलू बचत के अनुमान और 10 साल के भीतर केन्द्र सरकार पर बकाया कर्ज को घटाकर जीडीपी के 50 फीसद पर लाने के इरादे से यह सीमा तय की गयी थी।

इस तरह एफआरबीएम कानून के तहत राजस्व घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात को नीचे लाने के लक्ष्य तय हुए। इन लक्ष्यों को हासिल करने में कितनी प्रगति हुई, इसका ब्योरा सरकार को हर साल संसद के समक्ष रखना होता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.2.2019)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

क्या है एंजल टैक्स

हाल में सैकड़ों स्टार्ट-अप कंपनियों को 'एजल टैक्स' के नोटिस मिले हैं। इससे स्टार्ट- अप को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 'एंजल टैक्स' क्या है? स्टार्ट-अप इससे क्यों परेशान हैं? 'जागरण पाठशाला' में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

आयकर कानून की धारा 56 (2) (सात) के तहत लगने वाले टैक्स को आम बोलचाल में कहते हैं 'एंजल टैक्स'।

वैसे तो आयकर कानून, 1961 में कहीं भी 'एंजल टैक्स' शब्दावली का उल्लेख नहीं है। लेकिन जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयर को फेयर मार्केट मूल्य से अधिक कीमत पर बेचकर पूंजी जुटाती है तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त राशि को उसकी आय मानकर टैक्स जमा करने का नोटिस भेजता है। आयकर विभाग की सामान्य बोलचाल में इसे 'एंजल टैक्स' कहते हैं। आयकर कानून की धारा 56 (2) (सात) के तहत इसका प्रावधान है। चूंकि यह धारा 'अन्य स्रोत से आय' पर टैक्स अदायगी से संबंधित है, इसलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी शेयरों के माध्यम से पूंजी जुटाती है और आयकर विभाग को ऐसा लगता है कि कंपनी ने शेयर जिस रेट पर दिया है वह उसके उचित बाजार भाव से अधिक है, तो वह उस अतिरिक्त राशि को उस कंपनी की आय मानकर उस पर 30 फीसद की दर से एंजल टैक्स लगा देता है।

उदाहरण के लिए अगर किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी के शेयर का फेयर मार्केट मूल्य 100 रुपये है लेकिन उसी शेयर को एंजल इन्वेस्टर को 110 रुपये में बेचा जाता है तो उस अतिरिक्त 10 रुपये को निवेश के बजाय कंपनी की आय माना जाएगा। हालांकि स्टार्ट-अप कंपनियां इसे निवेश मानती हैं, लेकिन आयकर विभाग इसे अतिरिक्त आय मानकर इस पर 30 फीसद की दर से टैक्स लगा देता है। सिद्धांत के तौर पर तो आयकर विभाग की दलील ठीक लगती है लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू बिल्कुल अलग है। चूँकि स्टार्ट-अप को पूंजी जुटाने के लिए खासी मशक्कत करती पड़ती है। उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स के निवेश से ही मदद मिलती है। ऐसे में आयकर विभाग जब उन्हें एंजल इवेस्टमेंट पर नोटिस भेजता है, तो इन छोटी-छोटी कंपनियों को बड़ी परेशानी होती है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने मनी लॉड्रिंग रोकने और कालेधन पर नियंत्रण के इरादे से फाइनेंस एक्ट 2012 के माध्यम से आयकर कानून की धारा 56 (2) (सात) में यह प्रावधान किया था। इसका मकसद मनी लॉड्रिंग को रोकना था। लेकिन अब पूरे स्टार्ट-अप सेक्टर पर इसकी मार पड़ रही है।

मोदी सरकार ने स्टार्ट अप को राहत देने के लिए हाल के महीनों में कुछ उपाय भी किए हैं। मसलन, उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने इस 19 फरवरी को एक अधिसूचना जारी कर स्टार्ट-अप की परिभाषा का दायरा बढ़ाया है। इसके साथ ही स्टार्ट-अप की एंजल इन्वेस्टर्स से जुटाई गई कुल शेयर प्रीमियम पूँजी की सीमा 25 करोड़ रूपये तक कर दी है, जो इससे पूर्व 10 करोड़ रुपये थी।

स्टार्ट-अप कंपनियों की अधिकतम उम्र सीमा भी सात से बढ़ाकर 10 साल तक कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो स्टार्ट-अप कंपनियाँ वर्ष 2009 या उसके बाद बनी थीं, उन्हें भी एंजल टैक्स का लाभ मिल सकेगा। हालांकि इससे उन स्टार्ट-अप कंपनियों को अभी राहत नहीं मिलेगी जिन्हें पहले ही आयकर कानून का धारा 56 (2) (सात) के तहत एंजल टैक्स का भुगतान करने का आदेश आयकर विभाग जारी कर चुका है। (साभार : दैनिक जागरण, 25.2.2019)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

रिटर्न भरने के लिए 31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी

आयकर मामलों की शीर्ष संस्था सीबीडीटी ने कहा है कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है। जो व्यक्ति आयकर रिटर्न भरना चाहते हैं उन्हें 31 मार्च तक आधार व पैन को लिंक करना होगा। सीबीडीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सितम्बर 2018 के फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को कायम रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को आधार व पैन लिंक कराने की बात की फिर पुष्टि की थी। (साभार : दैनिक भास्कर, 16.2.2019)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2677296